



2026 : AHC : 51515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6998 वर्ष 2026

मुनीर अली

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची हेतु अधिवक्ता: विनोद कुमार

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता: सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. कुछ तर्कों के उपरांत, याची के अधिवक्ता द्वारा नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को "नॉट प्रेस्ड" (दबाव न देते हुए) के रूप में खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
2. की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
3. रिट याचिका प्रार्थनानुसार स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान रिट याचिका में विचाराधीन आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी फोटो-प्रति रिकॉर्ड पर रखने के बाद, वापस कर दे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

13 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।